(D) सीमान्त (हाशिए) समूह की शिक्षा
(Education of Marginalized Groups)

❖ स्त्री-शिक्षा
(Women Education)

भूमिका (Introduction)

भारतवर्ष विविधताओं भरा देश है, जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों व सामाजिक प्रतिमानों का समागम है। आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त इस देश की गरिमा को विश्व ललाट पर सुशोभित करने में भारतीय जनमानस का अतुलनीय योगदान रहा है। इसी जनमानस की अविरल धारा में अनेक नर-नारियों का आंकलन किया जाए तो निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि वैश्विक प्रगति की शृंखला में भारतीय नारियों की सहभागिता अविस्मरणीय रही है। भारतीय इतिहास व समाज में भी नारी जाति ने विश्व समुदाय के समक्ष नवीन कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान वैश्विक व भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें, तो नारी शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, जिसका विश्लेषण करना आवश्यक है।

नारी शिक्षा की संवैधानिक स्थिति
(Constitutional Status of Women Education)

भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है जिससे नारी शिक्षा की स्थिति में अपेक्षित सुधार सम्भव है, जिनका उल्लेख निम्नवत् है—

- अनुच्छेद-14 में कानून के समक्ष समानता का विधान है, अर्थात् स्त्री व पुरुष में राजनैतिक व सामाजिक आधार पर मतभेद नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद-15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। साथ ही अनुच्छेद-15(3) में यह व्यवस्था की गई है कि, "इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों व पुरुषों के लिए उपबन्ध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी।"

Scanned by TapScanner

स्त्रियाँ और संवैधानिक प्रावधान
(Women and Constitutional Provisions)

स्त्रियों की दशा को सुधारने, लिंग भेद को समाप्त करने और उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में जो प्रावधान किये गए हैं और जो कानून बनाये गए हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है—

- अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है, अर्थात् स्त्री-पुरुष सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा।
- अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अर्थात् धर्म, वंश, लिंग, जाति या निवास स्थान के आधार पर जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।
- अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, समान रूप से प्राप्त होगा।
- अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष समान रूप से आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे। 39 (ख) के अनुसार स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।

Scanned by TapScanner

- अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करेगा।
- अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक श्रमजीवी को इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
- **प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम, 1994** (The Pre-Natal Diagnostic Teachniques Act-1994)—इस अधिनियम के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का परीक्षण कराना कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। इस अधिनियम को 1996 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार लिंग जानने या पता कराने वाले या करने वाले चिकित्सक, क्लीनिक व अस्पताल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का प्रावधान है।
- **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005** (Domestic Violence Act-2005)—महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। घरेलू हिंसा में दुर्व्यवहार, धमकी, यौनाचार, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, लैंगिक हिंसा, आर्थिक हिंसा आदि सम्मिलित हैं। इस अधिनियम में, जहाँ अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, वहीं पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की भी व्यवस्था है।
- **महिला आरक्षण, 2005** (Reservation for Women-2005)—इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय निकायों में स्त्रियों के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इसके तहत स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके फलस्वरूप आज देश की महिलाएँ पंचायत के माध्यम से नये उत्साह, जोश, स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ विकास की गतिविधियों में अपना सहयोग दे रही हैं।
- सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति करने, लिंग भेद और असमानता को खत्म करने तथा स्त्रियों की स्थिति को उत्तम बनाने के लिए निम्नलिखित अधिनियम भी बनाए गए हैं—

— हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
— विशेष विवाह अधिनियम, 1956
— वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, 1956, इसमें संशोधन करके इसे 1986 में सशक्त बनाया गया;
— विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1956
— प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (कामकाजी महिलाओं हेतु)
— दहेज निषेध अधिनियम, 1961
— विवाह कानून अधिनियम, 1976 (बाल विवाह निषेध)
— आर्थिक समानता के अधिकार हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
— सती निषेध अधिनियम, 1987
— हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005
— बाल विवाह प्रतिबन्ध, 2006।

स्त्रियों के पिछड़ेपन के कारण
(Causes of Women's Backwardness)

स्त्री-शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत-सी योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं; जैसे—1988 में चलाये गये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में सभी को बुनियादी शिक्षा देने की बात कही गई। इसके अलावा मिड-डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ब्लैक-बोर्ड अभियान, महिला समाख्या, जनशाला कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

Scanned by TapScanner

आदि के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाये गए, जिनके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए सन् 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रोत्साहित "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान सक्रिय है। हर वर्ष सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० तथा अन्य बोर्डों द्वारा संचालित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में लड़कियों का उपलब्धि स्तर अच्छा रहता है, लेकिन उपरोक्त सभी प्रयास होने के बावजूद स्त्रियों की शिक्षा आज भी हाशिये पर ही है। हम यह देखते हैं कि आज भी स्त्री- शिक्षा हाशिये पर है। स्त्री-शिक्षा के गौरवशाली इतिहास का अवलोकन करने के बाद भी स्त्री-शिक्षा के हाशिये पर होने के कारण निम्नलिखित है—

- घरेलू दायित्व
- सामाजिक दृष्टिकोण
- अनुचित दृष्टिकोण
- सामाजिक कुप्रथायें
- निर्धनता
- बालिका विद्यालयों का अभाव
- अध्यापिकाओं का अभाव
- दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या
- सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन न होना
- ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन
- दोषपूर्ण प्रशासन
- लिंग-भेद
- पारिवारिक कारण
- जैविक-कारण
- महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एवं सामाजिक असुरक्षा
- महिला विश्वविद्यालयों का अभाव
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यौन शोषण की संभावना के चलते महिलाएँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर।

स्त्री शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाए। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में किया जाय। इसके लिए सुसंगठित, सुव्यवस्थित और समयबद्ध योजना व कार्यक्रम बनाये जाने चाहिएँ और उसको सशक्त बनाया जाये।

Scanned by TapScanner